



कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

क्रमांक :- 1164

दिनांक :- 1/5/12

कार्यालय आदेश

आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न योजनाओं में शैक्षणिक संस्थाओं को आरक्षित/रियायती दर पर आवंटित की गई भूमि के आवंटन पत्रों में शर्त उल्लेखित की गई है कि मण्डल कर्मियों के बच्चों को प्रवेश में 5 प्रतिशत का आरक्षण एवं शिक्षण शुल्के में 50 प्रतिशत रियायत दी जायेगी। शर्त की पालना शुनिश्चित करने हेतु मुख्य सम्पदा प्रबन्धक द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 3182 दिनांक 20.04.2012 के द्वारा तीन सदस्यों की समिति गठित की गई थी। अनुपालना में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा संघ के प्रतिनिधि के रूप में श्री मोहन सिंह, कनिष्ठ सहायक, खण्ड-पचम् को सम्मिलित करते हुए समिति गठित कर, आदेश क्रमांक 913 दिनांक 26.04.2012 जारी किया गया था।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक द्वारा जारी नवीन आदेश क्रमांक 22 दिनांक 26.04.12 की अनुपालना में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 913 दिनांक 26.04.2012 को निरस्त किया जाता है।

-50-

उप आवासन आयुक्त,
वृत्त-प्रथम,
राज0 आवा0 मण्डल, जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. नीजी सचिव-अध्यक्ष महोदय/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
2. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
4. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., राज0 आवा0 मण्डल, जयपुर
5. प्रांतीय महा सचिव, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ, जयपुर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
7. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राज0 आवा0 मण्डल, जयपुर को मण्डल की वेब सोइट पर डालने तथा सभी वृत्त कार्यालयों को ई-मेल किये जाने हेतु प्रेषित है।
8. रक्षित पत्रावलि

उप आवासन आयुक्त,
वृत्त-प्रथम